संख्या-6/2024-वे0आ0-2-405/दस-2024-ई0प0क0सं0-1761525

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2024**

विषय : व्यवसायिक शिक्षकों/अतिथि विषय विशेषज्ञों को अनुमन्य मानदेय की दरों को संशोधित किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-868/पन्द्रह-1-2018-1(137)/03टी0सी0-1, दिनांक 05 जुलाई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा व्यवसायिक शिक्षकों/अतिथि विषय विशेषज्ञों को अनुमन्य मानदेय की दरों को आदेश जारी होने की तिथि से संशोधित किया गया था।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-2) की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक विचारोपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के व्यवसायिक शिक्षकों/अतिथि विषय विशेषज्ञों को अनुमन्य मानदेय को पूर्व में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

विद्यालय	वर्तमान मानदेय की दर	संशोधित मानदेय की दर
इण्टरमीडिएट स्तर	प्रति व्याख्यान रू0 500/- तथा न्यूनतम् 30 व्याख्यान देने पर रू0 15,000/- प्रति माह	प्रति व्याख्यान रू0 750/- तथा न्यूनतम् 30 व्याख्यान देने पर रू0 20,000/- प्रति माह
हाईस्कूल स्तर	प्रति व्याख्यान रू0 400/- तथा न्यूनतम 30 व्याख्यान देने पर रू0 12000/- प्रति माह	प्रति व्याख्यान रू0 500/- तथा न्यूनतम 30 व्याख्यान देने पर रू0 15,000/- प्रति माह

3- उक्त संशोधित दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

4- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in